III/निगरानी/अशोकनगर/भू-रा/2017/2250

न्यायालय राजस्व मेण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017/निगरानी

इन्द्र सिंह पुत्र श्री अनूप सिंह यादव
आयु –47 वर्ष, व्यवसाय – कृषि,
निवासी – ग्राम सिलपटी, तहसील
ईसागढ, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
हाल निवास– कौलारस, जिला शिवपुरी
(म0प्र0) —— आवेदक

विरूद्ध

भरोसी लाल पुत्र श्री हीरालाल नामदेव
निवासी ग्राम सिलपटी तहसील ईसागढ
जिला -- अशोकनगर (म.प्र.)
—— अनावेदक

<u>न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 21.06.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक द्वारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व के सर्वे क्रमांक 259/6, रकवा 0.668 हैक्टेयर का सीमांकन कराये जाने हेतु एक आवेदन पत्र न्यायालय तहसीलदार के समक्ष दिनांक 23.05.2017 को प्रस्तुत किया गया था।

2. यहकि, अनावेदक के उपरोक्त सर्वे क्रमांक के पास ही आवेदक के स्वामित्व का सर्वे क्रमांक 266, रकवा 1.432 हैक्टेयर लगा हुआ है।

3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय एवं राजस्व अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई भी अवसर प्रदान किये बिना आदेश दिनांक 21.06.2017 को सीमांकन आदेश पारित किया। अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर के

प्र.क्र. तीन–निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/2250

11-12-18

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 26 अ–12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 21–6–17 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई–योग्य नही रही है। म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 129 में हुये सॅशोधन अनुसार राजस्व निरीक्षक के सीमांकन आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी को व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर सुनवाई के अधिकार दिये गये हैं। तद्नुसार आवेदक सक्षम न्यायालय में इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न रहने से समाप्त की जाती है।

सदस्य